केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों की विभागीय परीक्षा DEPARTMENTAL EXAMINATION OF INSPECTORS OF CENTRAL EXCISE

प्रश्न पत्र—चतुर्थ (PAPER-IV) विधि (सपुस्तक) LAW (With Books)

दिनांक :18.06.2014 (Date : 18.06.2014) पूर्णांक : 100 (MAXIMUM MARKS: 100)

समय : 2.00 अ0 से 5.00 अ0 (TIME:2.00 PM to 5.00 PM) उत्तीर्णांक : 50 (PASS MARKS: 50)

टिप्पणी :--

1.िकन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2.सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। 3.परीक्षार्थी हिन्दी में उत्तर दे सकते हैं।

4.सभी उत्तरों के साथ सुसंगत प्राधिकार का उल्लेख अवश्य करें।

सम्बन्धित पुस्तकें :--

1. भारतीय संविधान

2. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45)

3. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)
 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)

6. अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 (1931 का 16)

Note:-

1. Answer any five questions.

2. All questions carry equal marks.

3. Candidates have options to answer in Hindi

4. Relevant authority must be quoted will all answers.

CONCERNED BOOKS:

1. The Constitution of India.

2. The Indian Penal Code 1860 (45 of 1860)

3. The Code of Criminal procedure, 1973 (2 of 1974)

4. The Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)

5. The Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872)

6. The Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931)

प्रश्न 1. निम्नलिखित में से किन्हीं चार को परिभाषित करें। प्रत्येक विधि में से एक परिभाषा अनिवार्य है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) : (क) पीड़ित (ख) जमानतीय अपराध

भारतीय साक्ष्य अधिनियम,1872(1872 का 1) : (ग) न्यायालय (घ) निश्चायक सबूत

भारतीय दण्ड संहिता,1860(1860 का 45) : (ङ) लोक सेवक (च) कूटकरण, कूटकृत

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 : (छ) लोक अधिकारी (ज) सरकारी प्लीडर

Q. 1. Define any four of the following. One definition from each is compulsory;

<u>Code of Criminal Procedure,1973:</u> a. Victim b. Bailable Offence

Indian Evidence Act 1872: c. Court d. Conclusive Proof

<u>Indian Penal Code 1860:</u>
e. Public Servant f. Counterfeit

Code of Civil Procedure, 1908: g. Public Officer h. Govt. Pleader

प्रश्न 2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अधीन निम्नालिखित में से <u>किन्हीं तीन</u> की व्याख्या करें :

- 1. सिविल मामलों में अनुज्ञेयता (ग्रहण) जब वे सुसंगत हों।
- 2. एक ही संव्यवहार के भाग रूप तथ्यों की सुसंगति।
- कर्तव्य के पालन के दौरान लोक अभिलेख या इलेक्ट्रानिक अभिलेख में की गई प्रविष्टि की सुसंगति।
- 4. जब पूर्व निर्णय द्वितीय वाद या परीक्षण को वर्जित करने के लिए सुसंगत हों।
- 5. विशेषज्ञों की राय।
- 6. लोक दस्तावेज।

Q.2. Explain any three under the Indian Evidence Act, 1872:-

- 1. Admission in Civil Cases when relevant.
- 2. Relevancy of facts forming part of same transaction.
- Relevancy of entry in public records or an electronic record made in performance of duty.
- 4. Previous judgments relevant to bar a second suit or trial.
- 5. Opinion of experts.
- 6. Public documents.

प्रश्न 3. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1906 के अधीन निम्नलिखित में से किन्हीं तीन का वर्णन करें:

- 1. डिक्री का अंतरण
- 2. शपथ पत्र पर शपथ किनके द्वारा दिलायी जाती है?
- 3. प्रतिभूति बंध पत्र के दायित्व का प्रवर्तन।
- 4. कार्यान्वयन का प्रतिविरोध
- 5. पूर्व न्याय
- 6. आगे के वाद का वर्जन

Q. 3. Describe any three of the following under the Code of Civil Procedure, 1906.

- 1. Transfer of decree.
- 2. Oath on affidavit by whom to be administered.
- 3. Enforcement of liability of surety.
- 4. Resistance to execution.
- 5. Res Judicata
- 6. Bar to further suit.

प्रश्न 4. अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन निम्नलिखित में से <u>किन्हीं दो</u> को परिभाषित करें :

- (क) अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन किनको घोषणा करने की शक्ति है?
- (ख) अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम के अधिनियमन के पीछे क्या उद्देश्य और प्रयोजन रहा है?
- (ग) जब घोषणा प्रभावहीन हो जाती है, तो किए जाने वाले प्रतिदायों (रिफण्ड्स) के प्रकारों को विनिर्दिष्ट करें।

Q.4. Define any two of the following under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931.

- a) Who has the power to make declarations under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931?
- b) What had been the object and purpose behind enactment of Provisional Collection of Taxes Act?
- c) Specify the types of refunds to be made when declarations cease to have effect.

प्रश्न 5. भारतीय दण्ड संहिता के अधीन किन्हीं पाँच की व्याख्या करें।

- (क) विकृत चित्त के व्यक्ति का कार्य
- (ख) प्राइवेट प्रतिरक्षा में किए गए कार्य
- (ग) अपराधिक षड्यंत्र का दण्ड
- (घ) अभित्याजक को संश्रय देना
- (ङ) कपटपूर्ण तरीके से अदेय धनराशि के लिए डिक्री प्राप्त करना
- (च) अपराधिक न्यासभंग
- (छ) अपराधिक अतिचार के लिए दण्ड

Q.5. Explain any five under Indian Penal Code.

- a) Act of a person of unsound mind
- b) Things done in private defence.
- c) Punishment of criminal conspiracy.
- d) Harbouring deserter.
- e) Fraudulently obtaining decree for sum not due.
- f) Criminal breach of trust.
- g) Punishment for criminal trespass.

प्रश्न 6. दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें :

- (क) पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तारी कर सकती है?
- (ख) फरार व्यक्ति की सम्पत्ति की कुर्की (जब्ती)
- (ग) अपह्त महिला के प्रत्यावर्तन को विवश करने की शक्ति
- (घ) परिवादी का परीक्षण
- (ङ) दोषी होने के अभिवचन पर दोष सिद्धि

Q.6. Write a short note on <u>any three</u> of the following as per Code of Criminal Procedure, 1973.

- a) When police may arrest without warrant.
- b) Attachment of property of person absconding.
- c) Power to compel restoration of abducted females.
- d) Examination of complainant.
- e) Conviction on plea of guilty.

प्रश्न 7. सुसंगत प्राधिकार सहित भारतीय संविधान के अनुसार किन्हीं चार का वर्णन करें:

- (क) मौलिक अधिकारों और उनके प्रवर्तन के लिए उपलब्ध उपचार को सूचीबद्ध करें।
- (ख) बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट
- (ग) भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य और उनका अन्तः स्थापन संशोधन और दिनांक को विनिर्दिष्ट करें।
- (घ) महान्यायवादी
- (ङ) आकस्मिकता निधि और इसके प्रयोग की प्रकृति
- (च) अखिल भारतीय सेवाएँ
- **Q.7.** Describe <u>any four</u> of the followings as per the Constitution of India with relevant authority.
 - a) List the Fundamental Rights and remedy available for their enforcement.
 - b) Writ of habeas corpus.
 - c) Fundamental Duties and its insertion in the constitution. Specify amendment and date.
 - d) Attorney General.
 - e) Contingency Fund and its nature of use,
 - f) All India Services.
